(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम. गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी-2709-दो/15 विरुद्ध आदेश दिनांक 13.06.2015 पारित द्वारा तहसीलदार टीकमगढ़ प्रकरण क्रमांक 267/अ-6/2013-14

विज्ञान नायक तनय रमेश नायक आयु 30 वर्ष
निवासी ग्राम रानीपुरा तह. व जि. टीकमगढ़ (म.प्र.) ....**आवेदक**

विरुद्ध

1. अभय गोयल तनय प्रकाश गोयल आयु 52 वर्ष
   निवासी मझार के मंदिर की गली टीकमगढ़
2. रमेश नायक तनय गोविन्द्र दास नायक
   निवासी ग्राम रानीपुरा तह0 व जिला टीकमगढ़
3. मध्यप्रदेश शासन ....**अनावेदकगण**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव

आदेश
(आज दिनांक....05/04/2018......को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 267/अ-6/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 13.06.2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा मौजा रानीपुरा स्थित भूमि खसरा नं. 787 रकवा 13.221 हे. में से रकवा 2.203 हे.

भूमि की नामांतरण कार्यवाही स्थगित करने हेतु एक आवेदन तहसीलदार टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तत किया। जिस पर से तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 13.06.2015 द्वारा नामांतरण आदेश जारी किया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिए गए हैं कि विक्रय विलेख दिनांक 05.08.2014 की इबारत से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि खसरा नं. की बिक्री फर्जी तौर पर लेख कराई गई है, उसमें धारित रकवा 1/6 में से 2.203 आर.ए. भूमि नहीं है तब क्रेता एवं विक्रेता के बीच फर्जी विक्रय होना अभिलेख से ही प्रमाणित होता है। आदेश के पद क्रमांक 7 में अधीनस्थ न्यायालय ने रकवा 2.142 हे. भूमि का नामांतरण किया है जबकि विक्रय विलेख अनुसार बेची गई भूमि 2.203 आर.ए. है तब अतिशेष जमीन के पक्षकार को भी नामांतरण करते समय कोई सूचना व सुनवाई नहीं की और न ही चल रहे व्यवहारवाद के आदेश की प्रतीक्षा की तब शेष 0.061 हे. भूमि की क्या व्यवस्था की गई, अत्यंत गंभीर जांच का विषय है। उक्त आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा यह भी कहा गया है कि विलेख के पेज क्रमांक 2 पर स्पष्ट है कि विक्रय की गई भूमि विक्रेता की पैत्रिक संपत्ति है तो शेष 5 व्यक्तियों की संपत्ति का निराकरण व्यवहार न्यायालय के अधीनस्थ और अधीनस्थ न्यायालय के संज्ञान में होने पर भी न तो कार्यवाही मुलतबी की और न ही वरिष्ठ न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा की जो गंभीर एवं प्रक्रियात्मक दोष है। इस कारण भी आलोच्य आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है।

4. अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए यह निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। यह प्रकरण पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर

नामांतरण का है। अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 द्वारा तहसीलदार के समक्ष पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन दिया। नामांतरण कार्यवाही में आवेदक द्वारा इस आधार पर आपत्ति प्रस्तुत की गई कि अनावेदक द्वारा छल एवं अनुचित दबाव व गुमराह कर रजिस्ट्री कराई गई है तथा उसके द्वारा क्रेता के विरूद्ध सिविल कार्यवाही करने तक नामांतरण कार्यवाही स्थगित करने का निवेदन किया। तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति को इस आधार पर निरस्त करते हुए कि पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरण को स्थगित करने की अधिकारिता नहीं है क्रेताओं का नाम पंजीकृत विक्रयपत्र के आधार पर करने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए तहसीलदार का आदेश उचित एवं न्यायिक है और उसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। इसके अतिरिक्त इस प्रकरण में यह उल्लेख करना भी आवश्यक प्रतीत होता है कि तहसीलदार का आदेश अंतिम प्रकृति का होकर अपीलनीय है, जिसके विरूद्ध निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी निरस्त की जाती है। आवेदक सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वतंत्र हैं ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर